# महिला सशक्तिकरण तीन तलाक कानून एक और सीढ़ी

**नीतू गुप्ता**
*हिन्दी विभाग*
*पी0पी0एन कालेज, कानपुर*
*E-mail: neetu.saurabh10@gmail.com*

**डॉ0 निधि कश्यप**
*एसो0 प्रोफे0 एवं विभागाध्यक्ष*
*पी0पी0एन कालेज, कानपुर*

## सारांश

*जीवनरूपी रथ के दो पहिये होते है– स्त्री और पुरूष अगर एक पहिया भी कमजोर होगा रथ चलना मुश्किल होगा। 'महिला अधिकार संरक्षण कानून' 2019 इस रथ को मजबूती प्रदान करते हुए नारी सशक्तिकरण की जीवंत मिसाल प्रस्तुत करता है। आज का समाज महिलाओं का यह अधिकार देता है कि वो शिक्षित हो, अपने हक के लिए आवाज उठा सके और हर क्षेत्र में कदम बढ़ा कर देश को एक नई दिशा में बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करा सके। फिर चाहे वह हिन्दु स्त्री हो, मुस्लिम हो या किसी भी धर्म को मानने वाली हो, ईश्वर की इस सुन्दर कृति को आज सम्पूर्ण मानव समाज सम्मान एवं उनका अधिकार उन्हें दिलाने के लिए सशक्त कदम उठा रहा है।*

## प्रस्तावना

''कर्म या इबादत चाहे पुरूष करे या स्त्री दोनों को उनके कार्यों का बराबर फल दिख जाएगा। इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार यदि कोई स्त्री अकलमंद, तहज़ीब, इल्म, परहेजगारी और ऐसे ही बहुत से गुणों की मालिक है जो वह साधारण पुरूष से ऊँचा स्थान रखती है।''[1]

'कुरआन' में कही गयी ये पंक्तियाँ यह सिद्ध करती है कि इस्लाम ने स्त्रियों को एक ऊँचा एवं सम्मानजनक स्थान प्रदान किया है लेकिन शरीयत का पालन करने वाले कुछ मौलवियों ने अपने स्वार्थ के लिए हर बार धर्म की आड़ में स्त्रियों को अपने पैरों के नीचे रखने का प्रयास किया है।

मुस्लिम स्त्री का ध्यान आते ही सदैव एक पर्दे के पीछे, चहारदिवारी में कैद स्त्री का चेहरा उभर कर सामने आता है, जो कहना और करना तो बहुत कुछ चाहती है पर पुरूषों की कट्टरता ने उसे बेड़ियो में जकड़ रखा है वह मजबूत है आवाज उठाने में, अपने हक के लिए लड़ने में, लेकिन धर्म के ठेकेदारो ने धर्म को समझे बिना अपने स्वार्थ के लिए स्त्री पर अत्याचार किया उसका शोषण किया लेकिन इस्लाम ये नही कहता है।

हजरत मोहम्मद ने पहली बार भाई चारे, समानता और स्त्री के अधिकारों की बात की, उन्होने ये प्रयास किया कि स्त्रियों को उनका हक प्राप्त हो, उन्होंने यह भी सीख दी कि स्त्री

को मारा–पीटा न जाए। हजरत मोहम्मद के अनुसार– ''अपनी पत्नी को मारने वाला अच्छा आचरण का नही है तुममे से सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति वह है जो अपनी पत्नी से अच्छा सुलूक करे, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, कोई मुसलमान अपनी पत्नी से नफरत न करें अगर उसकी कोई एक आदत बुरी है तो उसकी दूसरी अच्छी आदत को देखकर पुरूषों को खुश होना चाहिये और अपनी पत्नी के साथ दासी जैसा व्यवहार न करो।''[2]

हजरत मोहम्मद की ये बाते यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि इस्लाम ने महिलाओं को बराबरी का हक दिया, लेकिन पुरूषसत्तात्मक सोच ने उन्हें दबाया, डराया, धमकाया उन्हें शिक्षा से वंचित किया ताकि अनपढ़ होकर वह अपने अधिकारो को न ही समझ पाए और न ही उनके लिए आवाज उठा सके, परन्तु कुछ मुस्लिम महिला लेखिकाओं जैसे– रूकैय्या सखावत, मुमताज, जाहिदा हिना, रशीद जहाँ एवं नासिरा शर्मा आदि ने जब कलम उठाई, तो उनका प्रथम कार्य पुरूषसत्ता का विरोध ही रहा। अपनी रचनाओं के माध्यम से उन सबने अशिक्षा, असमानता, अधिकार हनन के प्रति अपना विद्रोही स्वर छेड़ा एवं रूढ़िवादी व्यवस्थाओं का विरोध किया।

स्त्री विमर्ष की दृष्टि से नासिरा शर्मा की कहानियों में मुख्यतः प्रेमचन्द्र, मंटो, तबस्सुम का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर है। नासिरा शर्मा ने मुख्यतः मुस्लिम समाज की स्त्रियों के भोगे हुए यथार्थ की दासता को बयान किया है। निम्नवर्गीय व कामकाजी स्त्रियों को अपने केन्द्र में रख कर नासिरा ने स्त्रियों के हक के लिए जो आवाज बुलन्द की उसी ने उन्हें आज के दौर की एक लोकप्रिय शख्सियत के रूप में उभारा है। 2016 ई0 की साहित्य अकादमी से पुरस्कृत उनकी पुस्तक 'पारिजात' ली जाय या उपन्यास 'सात नदियाँ एक समंदर' या कहानी 'इब्नेमरियम' ली जाए सबकी पृष्ठभूमि मुस्लिम स्त्रियों के इर्दगिद घूमती है।

धर्म की बेड़ियाँ तोड़ कर स्त्री जब चीखी तो उसकी चीख से आसमान मे भी सुराख हो गया और पुरूषसत्तात्मक समाज को डर महसूस होने लगा। ''वो जब आजादी का एलान करती है तो बेरहम से बेरहरम मर्दो से भी हजारों गुना आगे बढ़ जाती है। बेहयाई पर उतरती है। तो मर्द उसे देखते रह जाते है।''[3]

कार्ल मार्क्स ने कहा था– अगर किसी समाज की हालत और प्रगति के बारे में जानना है तो यह देखे कि उस समाज में औरतें किस स्थिति में है।

इंडोनेशिया के बाद भारत ही वो दूसरा देश है जहाँ मुसलमान सर्वाधिक रहते है।[44].

http://www.mapsofworld.com/world top ten- countries- with target-Muslims population- map html. Time 9 P.M. Date 24...07.2019

अनुमानतः यहाँ 18 करोड़ मुसलमान है, जो कि देश की आजादी का 14.88 प्रतिशत है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत की लगभग 60 फीसदी मुस्लिम महिलाएँ शिक्षा से वंचित है, इनमे से 10 फीसदी महिलाएं ही उच्चशिक्षा प्राप्त कर पाती है। **सचर समिति** जो कि भारत में मुस्लिम समुदाय की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए नियुक्त की गयी है कि रिपोर्ट के अनुसार देशभर में मुस्लिम महिलाओं की साक्षरता दर 53.7 फीसदी है।[5] इनमें से अधिकांश महिलाएं सिर्फ अक्षरज्ञान तक ही सीमित है।

शरीयत औरतों को इस काबिल देखना चाहती है कि वह अपने और अपने जैसे दूसरे इंसानों की खिदमत अपनी कमाई से कर सके।

हजरत मोहम्मद के दौर में मुस्लिम औरतें मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ती थी। हजरत खदीजा इसकी मिसाल है कि उन्होने समाज में आर्थिक क्रियाकलापों को बढ़ाया। सियासत में भी मुस्लिम महिलाओं ने महत्वपूर्ण कार्य किये।[6]

पैगम्बर हजरत मोहम्मद ने कहा है कि ''तुमने अगर एक मर्द को पढ़ाया तो सिर्फ एक इंसान को पढ़ाया, लेकिन एक औरत को पढ़ाया तो एक खानदान, एक नस्ल को पढ़ाया।''[7]

इस्लाम में स्त्रियों को समस्त अधिकार (शैक्षिक एवं सामाजिक) दिए गए हैं, परन्तु हकीकत यह है कि लड़कियों को घर से बाहर तक नहीं जाने दिया जाता है। एक उम्र तक जितनी शिक्षा हो सके करो अन्यथा विवाह करवा दो, इसका परिणाम यह होता कि स्त्रियाँ घर के कामकाज में कैद होकर रह जाती है वे न ही पर्याप्त शिक्षित हो पाती है कि उनको अपने अधिकारों का ज्ञान होता है और न ही अन्याय के खिलाफ आवाज उठा जाती है।

इन्ही अन्यायों में से एक अन्याय जो मुस्लिम स्त्रियाँ सदियों से सहन करती आ रही वह है 'तीन तलाक'–

तलाक का अर्थ है– किसी बंधन से मुक्त होना। ''एक महिला के संदर्भ में इसका अर्थ है कि जब एक पुरूष उसे शादी के बंधन से मुक्त कर दे, वह तलाक है।''[8]

सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त, 2010 में इसे असंवैधानिक ठहराया था। इस्लाम में जिसे तलाक–अल–बिदल कहते है, उसमें तलाक देने का यह तरीका बताया भी नही गया है। इस्लाम में कहा गया है कि पति–पत्नी को एक बार में एक तलाक बोल सकता है फिर उन दोनों को 40 दिन एक साथ बितान होगें जिसमें वह किसी तरह का शारीरिक सम्बन्ध नहीं बना सकते, 40 दिन के बाद पति–पत्नी को दूसरा तलाक देगा, और इसके बाद पुनः वे 40 दिन साथ रहेगें, उसके बाद भी अगर दोनो के बीच कोई समझौता नहीं होता है या वे साथ रहना नही चाहते है तभी पति अपनी पत्नी को तीसरा तलाक देकर उसे मुक्त कर सकता है।[9]

भारत में जिस प्रकार का तीन तलाक प्रचलित है वो काफी समय पूर्व ही मिस्त्र, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तर्की, श्रीलंका, अलजीरिया आदि स्थानों में अमान्य हो चुका है।[10]

भारत में प्रचलित इस प्रकार तलाक की प्रथा ने मुस्लिम स्त्रियों की दशा खराब करा दी थी, इसीलिए मौजूदा सरकार ने सन् 2017 में इसके खिलाफ कार्यवाही की है।

मुस्लिम समाज में प्रचलित तीन तलाक की प्रथा का रूप काफी विकष्त हो चुका है। बीते कुछ समय से फोन पर या सोशल मीडिया पर तलाक देने के कई मुद्दे सामने आए, जिनमें से अन्ततः 2016 में पाँच तलाक पीड़ित महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

तीन तलाक की सुनवाई के लिए पाँच सदस्यीय बेंच का गठन किया गया। इस बेंच की खास बात यह थी कि इसमें पाँच अलग धर्मों के पाँच जजों को सुनवाई के लिए गठित किया गया।

(1) जस्टिस जगदीश सिंह खेहर सिख समुदाय के है एवं देश के 44वें चीफ जस्टिस है।

(2) जस्टिस कुरियन जोसफ (क्रिश्चियन है 2013 में ये सुप्रीत कोर्ट के जज थे)।

(3) जस्टिस रोहिंग्टन फली नरीमन पारसी हैं।

(4) जस्टिस उदय उमेश ललित (हिंदू) है ये 2014 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने।

(5) जस्टिस एस अब्दुल नजीर मुस्लिम है।

इन पाँच तत्वों की पीठ ने 11 से 18 मई तक रोजाना सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपना फैसला सुनाया। उन्होने कहा कि मुस्लिम समुदाय में शादी तोड़ने का यह सबसे खराब तरीका है। ये गैर जरूरी है। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या जो धर्म के मुताबिक ही घिनौना है। वह कानून के तहत वैध ठहराया जा सकता है।[11]

कोर्ट का फैसला 3:2 से आया।

पाँच में से तीन जजों जस्टिस कुरियन जोस, जस्टिस नरीमन और जस्टिम यू0यू0 ललित ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया। तीनो ने जस्टिस नजीर और जस्टिस खेहर का विरोध किया। तीनो जजों ने तीन तलाक को संविधान के अनुच्छेद–14 का उल्लंघन माना है। अनुच्छेद–14 समानता का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीन तलाक मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन है।[12]

अन्य दो जजों ने तीन तलाक को असंवैधानिक नही माना है। जस्टिस खेहर ने कहा कि यह प्रथा सुन्नी सम्प्रदाय का अभिन्न हिस्सा है और यह प्रथा 1000 सालों से चली आ रही है।

चीफ जस्टिस खेहर व जस्टिस नजीर ने कहा कि तीन तलाक धार्मिक प्रैविटस है इसलिए कोर्ट इसमें दखल नही देगा।[13]

सीनियर वकील राम जेठ मलानी ने कहा था– ''शादी तोड़ने के इस तरीके के पक्ष में कोई दलील नहीं दी जा सकती है। शादी को एक तरफा खत्म करना घिनौना है, इसलिए इससे दूरी बरती जानी चाहिये।''[14]

ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा कि तीन तलाक इस्लाम का मूल हिस्सा नही है बोर्ड ने बताया कि कुरान में तीन तलाक का कहीं भी जिक्र नहीं है।

उत्तराखंड के काशीपुर की 'शायराबानो' ने जब सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर ट्रिपल तलाक और निकाह हलाला के चलन की संवैधानिकता को चुनौती दी, तब देश की आँखे खुली आज वास्तव में समाज में ऐसी महिलाओं की आवश्यकता है जो महिला अधिकार के लिए कदम बढ़ाए।

शायराबानो के आवाज उठाने के बाद ही मुस्लिम समाज भी जाग्रत हुआ। वरिष्ठ मौलाना सैय्यद शहराबुद्दीन सलाफी फिरदौसी ने तीन तलाक और हलाला को गैरइस्लामी बतलाते हुए इसे महिलाओं पर अत्याचार का हथियार बताया था। इंडियन मुस्लिम फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी (IMSD) ने मौलाना फिरदौसी के बयान का स्वागत किया। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने तीन तलाक के मामले में कड़े कानून पैरवी की थी।

ए0आई0एस0पी0एल0बी के प्रवक्ता मौलाना यासबू अब्बास ने कहा था कि शिया समुदाय में एक बार में तीन तलाक के लिए कोई जगह नहीं है– शिया समुदाय के नेता सलीम रिजवी ने कहा था ''हम तीन तलाक पर यकीन नहीं करते और शिया समुदाय में इस पर अमल नही होता। वही वरिष्ठ पत्रकार असद रजा ने कहा कि यह मुद्दा पुरूषवादी वर्चस्व से जुड़ा है और इसका कुरान में कोई जिक्र नही है।[15]

इस प्रकार की अनेक दलीले पेश होने के बाद अन्ततः केन्द्र सरकार ने 25 जुलाई, 2019 को एक विधेयक को पारित किया, जिसमें एक साथ तीन बार तलाक बोलकर (तलाक ए–बिदल) को अपराध करार दिया गया और साथ ही दोषी को जेल की सजा सुनाए जाने का भी प्रावधान किया गया है। सरकार का यह भी कहना है कि यह विधेयक लौंगिक समानता और न्याय की दिशा में एक काव्य है।[16]

अन्ततः मौजूदा सरकार के सशक्त प्रयासों के फलस्वरूप 30 जुलाई, 2019 को तीन तलाक विधेयक राज्यसभा में पारित कर दिया गया। बिल के पक्ष में 99 वोट पड़े, इसके पश्चात् यह बिल राष्ट्रपति के पास भेजा गया ताकि उनके हस्ताक्षर के बाद ये कानून का रूप ले सके। विधेयक में मुस्लिम समुदाय में तत्काल तलाक देने के मामले में पुरूशों के लिए सजा का प्रावधान रखा गया है।

इस बिल के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा– ''पूरे देश के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है आज करोड़ो मुस्लिम माताओं–बहनों की जीत हुई है, और उन्हें समान से जीने का हक मिला है। सदियो से तीन तलाक की कुप्रथा से पीडित मुस्लिम महिलाओं को आज न्याय मिला है।''[17]

**निष्कर्ष**

सरकार की इस प्रकार की पहल महिला सशक्तिकरण की तरफ एक सशक्त कदम है। सरकार के साथ–साथ आज महिला समाज को भी अपने अधिकारो के लिए स्वयं आगे आने और आवाज उठाने की आवश्यकता है। आज हजारो 'सायरा बानो' की जरूरत हे जिसमें अपनी बात रखने की हिम्मत हो जो इतनी सजग हो कि कोर्ट का दरवाजा खटखटा सके और अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला ले सके और इस सजगता के लिए जो सबसे ज्यादा आवश्यक है वो है शिक्षा। शिक्षित हो कर ही मुस्लिम महिलाएँ यह जान सकेगीं कि उनका धर्म क्या कहता है, उनको शिक्षित होने का पूरा हक है परन्तु पुरूषवादी सोच उन्हें ऐसा करने से रोक रही है। इस्लाम ने महिला एवं पुरूष को एक समान अधिकार दिये है फिर पुरूष अकेला कौन होता है, महिला के लिए निर्णय लेने वाला। विवाह दोतरफा बंधन है, जिसे पति पत्नी मिलकर निभारते है फिर पति अकेला कैसे तलाक बोल कर इस रिष्ते को तोड़ सकता है, महिलाओं को इसके लिए सजग एवं जागरूक होना चाहिये। हजरत मोहम्मद शिक्षाओं पर अमल करते हुए उन्हे अपनी बेटियो को शिक्षित करना चाहिये उन्हे आवाज उठाना चाहिये आपनी बेटियों के हक के लिए उनकी शिक्षा के लिए ताकि आगे आने वाली पीढ़ी इस दशं को न झेले और वो भी पुरूषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चलने की काबिलयत हासिल करें।

## (Footnotes)

[1]- कुरआन।

[2]. अब्दुललाह अडियार, इस्लाम जिससे मुझे प्यार है, पृ0 **12–22**।

[3].Sirajsamay.blogspot.com [time -9.49 Am. dt. 3.07.19]

[4]. http://www.mapsofworld.com/world top ten- countries- with target-Muslims population- map html. Time 9 P.M. Date 24...07.2019

[5].https://www.prsindia.org. 10:00 PM dt. 24.07.2019

[6].http://m.facebook.com- 25.07.2019, 10 AM.

[7].m. patrika.com - 10.15 AM, 25.07.2019.

[8].From aajtak.intoday.in - 27.07.19., 11.:00 AM

[9].From Aajtak.intoday.in12.30 PM dt. 27.07.2019

[10].From Aajtak.intoday.in 1:00 PM dt. 27.07.2019

[11].https://khabar.ndtv.com, 26 July, 6:30 PM

[12].imes.indiatimes.com, 26 July, 7:00PM

[13].imes.indiatimes.com, 26 July, 7:15 PM

[14].imes.indiatimes.com, 27 July, 7:05 AM

[15].imes.indiatimes.com, 26.07.19, 09:15 AM

[16].M. navbharattimes.indiatimes.com, 28.07.19, 08:15AM

[17].From, Zeenews. India.com, 31 July, 12:30 PM.